:– निविदा की शर्ते :–

1. प्रत्येक निविदा सील बंद लिफाफें में होना चाहिए। निविदा लिफाफे पर निविदाकार अपना सेल टैक्स नम्बर/टीन नंबर/जी.एस.टी नंबर(जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन फार्म 6/25 संलग्न करना है) अंकित करना अनिवार्य होगा तथा यह स्पष्ट करना होगा कि निविदा किस–किस खण्ड हेतु एवं किस–किस सामग्री हेतु प्रस्तुत की जा रही है।
2. सील बंद लिफाफे के साथ निविदाकार को आयकर समाशोधन प्रमाण पत्र तथा वाणिज्यिक कर विभाग का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आयकर रिटर्न (वर्तमान एवं विगत 01 वर्ष का) पेनकार्ड, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र संलग्न करें।
3. निविदा के साथ अनुमानित क्रय मूल्य का कम से कम 05 प्रतिशत सुरक्षा निधि छत्तीसगढ़ भण्डार क्रय एवं जेल पूर्ति नियम छ0ग0 जेल नियमावली के अनुसार जमा किया जायेगा। यह सुरक्षा निधि सफल निविदाकार की रोककर शेष अन्य की निविदा खोले जाने की तिथि के पन्द्रह दिवस पश्चात् वापस लौटा दी जावेगी। सुरक्षा निधि की राशि नगद स्वीकार नही होगी। यह राशि चालान के माध्यम से अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा की जा सकेगी।
4. इस प्रतिभूति के राशि के अतिरिक्त छ0ग0 जेल पूर्ति नियम **1968** एवं छ0ग0 भंडार क्रय नियम 2002 के अनुसार शोधक्षमता प्रमाण पत्र या प्रतिभूति प्राप्त किया जावेगा, ताकि आपूर्तिकर्ता के बीच में प्रदाय बंद किया जाने पर भी आपूर्ति बाधित न हो।
5. निविदाकार को निविदा स्वीकृति उपरान्त जारी प्रदायगी आदेश के **03दिवस** के अन्दर सामग्री निर्धारित स्थान तक पहुॅचाना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय पर सामग्री की पूर्ति न होने पर बगैर निविदाकार को सूचना दिये स्थानीय बाजार से क्रय की जावेगी तथा शासन को होने वाली हानि की वसूली निविदाकार से की जावेगी।
6. जेल अधीक्षक क्रय समिति के अनुशंसा पर सामग्री का क्रय हेतु बाध्य नही है। निविदाओं के परीक्षण पश्चात् यदि वह क्रय समिति की अनुशंसाओं से संतुष्ट है तो क्रय की अनुमति दे सकता है। यदि वह संतुष्ट नहीं है तो निविदाओं को निरस्त भी कर सकता है, जेल अधीक्षक यह भी देखेगा कि किसी फर्जी फर्म द्वारा निविदा तो प्रस्तुत नहीं की गई है, जिस फर्म के द्वारा निविदा दी गई है के बारे में यह भी सुनिश्चित करेगा कि उसके पास कार्य का ज्ञान है वित्तिय दृष्टि से वह सुदृढ़ है। भण्डारण की उसके पास प्रयाप्त व्यवस्था है वह चाहे तो निरीक्षण भी कर सकता है। इस आशय की शर्त करारनामा (स्टॉम्प पेपर 100 रू.) में जोड़ी जायेगी। वस्तुएं इस शर्त पर क्रय की जायेगी कि उनका प्रदाय क्रेता विभाग द्वारा निर्धारित स्थल पर प्रदायकर्ता द्वारा किया जायेगा।

7. प्रदायगी आदेश जारी, किये जाने के पूर्व प्रदायकर्ता फर्म से करार नामा किया जाना अनिवार्य होगा। नमूने तथा मापदण्ड के अनुरूप सामग्री प्रदाय न करने की स्थिति में सामग्री स्वीकार नही की जावेगी तथा प्रदायकर्ता फर्म को अपने स्वयं के व्यय से वापस ले जाना होगा।
8. निविदा खोले जाने की तिथि 16/03/2022 को संध्या 4:00 बजे ।
9. निविदायें उपस्थित निविदाकार अथवा उनके प्रतिनिधि तथा क्रय समिति के समस्त सदस्यों के सामने खोली जावेगी। अपरिहार्य कारणों से निविदा खोलने का समय में परिवर्तन भी किया जा सकता है।
10. पृथक से कोई कर देय नही होगी ।
11. निविदा में दर्शायी गई सफल निविदाकार की दरें दिनांक 31.03.2023 तक अथवा वर्ष 2022–2023 वार्षिक ठेके तक प्रभावशील रहेगी निविदा बिना किसी शर्त के या कारण बताये किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी।
12. छत्तीसगढ़ शासन वित तथा योजना विभाग मंत्रालय डी.के.एस. भवन रायपुर के पत्र क्रंमाक 136 ए/वित्त/ब–4/चार 2012 दिनांक 05.05.2012 के अनुसार देयकों के भुगतान पर निर्धारित वैट टैक्स/जी.एस.टी. काटकर शेष राशि का भुगतान किया जावेगा।
13. निविदाकारों को निविदा की सामग्री का नमूना पृथक से उसी समय प्रस्तुत करना होगा ।
14. निविदाकार को अपने व्यय से सामग्री की प्रदायगी जेल गेट पर अपने अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से स्वयं के व्यय पर करना होगा।
15. निविदाकार की किसी भी प्रकार की कोई शर्त मान्य नही होगी।
16. निविदा के साथ फर्म का लेटर हेड जिसमें फर्म का पूर्ण पता, टीन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जी. एस.टी. नंबर अंकित होना चाहिए।
17. आयकर रिटर्न एवं पैन कार्ड की छायाप्रति निविदा के साथ संलग्न करें।
18. किन–किन बैंको में खाता है, खाता क्रमांक एवं बैंकों का पूर्ण विवरण।
19. गोदाम का पता, कहां स्थित है, भण्डार की क्षमता यदि किराये पर हो तो किराये नामा एवं स्वयं के हो तो रजिस्ट्री की कागजात प्रस्तुत करना होगा।
20. अपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं रहे हो उसका प्रमाण पत्र एवं साथ में आधार कार्ड भी निविदा के साथ संलग्न करें।
21. क्रय की जाने की सामाग्री की मात्रा एवं संख्या में कमी या वृद्धि क्रय अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।
22. निविदाकार को व्यापारिक संस्थान का स्पष्ट पता जहां से माल प्रदाय किया जायेगा देना होगा।
23. क्रय अधिकारी चाहे तो किसी भी वस्तु का नमूने से कभी भी मिलान कर सकता है, या प्रदाय सामग्री का रासायनिक परीक्षण करा सकता है। त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर क्रय अधिकारी क्रय आदेश निरस्त करने का अधिकार होगा।

24. निविदा में सामग्रीयों के खाली टीन,बोरे आदि की दरे नहीं जोड़ी जायेगी। वस्तु का वास्तविक मूल्य की अंकित किया जाये।

25. निविदाओं का अनुमोदन महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं छ0ग0 रायपुर द्वारा किया जावेगा। जेल महानिदेशक का विशेषाधिकार होगा कि वे किसी निविदा को अमान्य करेगा। यथा निविदा की पूर्ण कार्यवाही निरस्त की जा सकती है।

26. निविदा फार्म निविदा दिनांक के एक दिवस पूर्व अवकाश दिवस छोड़कर प्राप्त किया जा सकता है।

27. वस्तुओं का मांग दैनिक, सप्ताहिक आवश्यकता के अनुसार दिया जावेगा, सामाग्री क्रय हेतु जेल नियम लागू होगा।

जेल अधीक्षक
जिला जेल गरियाबंद
उप जेल गरियाबंद (छ.ग.)
जिला –गरियाबंद (छ0ग0)